राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–3188 / 2024

दीन दयाल सारस्वत

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री प्रदीप कुमार, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने कार्यालय जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.08.2024 को चुनौती दी है, जिस आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है और अपनी उपस्थिति राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर में देने हेतु निर्देशित किया गया हैं। अपीलार्थी ने अपनी इस अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के पद पर वर्ष 1984 में हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की सेवाएं संतोषजनक रही है और उसके खिलाफ कोई विभागीय शिकायत नहीं है। अपीलार्थी की वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी को तहसीलदार के पद पर क्रमोन्नत किया गया है। जिस पर अपीलार्थी ने तहसीलदार, नादोती के पद पर दिनांक 23.08.2024 को कार्यग्रहण किया। अपीलार्थी ने दिनांक 24.08.2024 से 26.08.2024 (तीन दिवस) के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2024 के द्वारा जिला कलेक्टर, गंगापुरसिटी को आवेदन किया था, जिस आवेदन को रद्द करने के सम्बन्ध में अपीलार्थी को दिनांक 24.08.2024 को मौखिक सूचना प्राप्त हुई। जिसके पश्चात अपीलार्थी ने उक्त तीनों दिवस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि उक्त स्थिति के पश्चात भी अपीलार्थी को आलोच्य आदेश दिनांक

27.08.2024 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है, जो गलत है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि पूर्व में अपीलार्थी के कार्यालय तहसील नादौती का श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर द्वारा निरीक्षण दिनांक 09.05.2024 करने पर अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में कार्यालय जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी द्वारा राजकार्य के प्रति गंभीर नही हाने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के सी.सी.ए. नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी, जिसमें दण्डस्वरूप अपीलार्थी के दो (02) वार्षिक वेतन वृद्धि (असंचयी प्रभाव से) रोकी गई। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी के विरुद्ध राजकार्य के प्रति गंभीर नहीं हाने एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने के कारण एक अन्य राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के सी.सी.ए. नियम–17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई गई थी, जिसमें अपीलार्थी को सिर्फ हिदायत देते हुए कार्यवाही को समाप्त किया गया। दिनांक 24.08.2024 को आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में अतिवृष्टि तथा संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए बैठक में अपीलार्थी को जिला कलक्टर महोदय द्वारा तुरन्त प्रभाव से उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही उन्हें सूचित किया गया कि आपके विरूद्ध उपरोक्त कृत्य के लिये अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है परन्तु अपीलार्थी ने जिला कलक्टर, गंगापुर सिटी को जबाव दिया कि "मैं वापस नही आऊँगा तथा मुझे सस्पेंड करना है तो कर ले।" अपीलार्थी द्वारा दूरभाष पर जिला कलक्टर महोदय को पुनः दोहराया गया कि "मुझे सस्पेंड ही करवा दो।" अपीलार्थी द्वारा बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग, राजस्व अधिकारीगण की बैठक में अनुपस्थित रहना एवं उच्च अधिकारियों से अमर्यादित रूप से व्यवहार अपीलार्थी की घोर लापरवाही

तथा अनुशासनहीनता प्रकट करता है। राजस्व कार्य तथा आपदा प्रबंधन से जुडे हुए तहसीलदार जैसे महत्त्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी को वे गंभीरता से नहीं निभा पा रहे थे। अपीलार्थी द्वारा उच्चाधिकारी के निर्देशों की अवहेलना करना तथा तत्पश्चात् जिला कलक्टर पद की गरिमा के विरूद्ध अमर्यादित रूप से व्यवहार करना राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 के नियम 03 व 04 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध जिला कलक्टर महोदय द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई जिसके क्रम में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वाराराजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) के नियम 1958 के नियम 13 के तहत अपने आदेश दिनांक 27.08.2024 द्वारा निलंबित किया गया।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि निलंबन आदेश पारित हुए करीब 6 माह का समय हो चुका है। अभी तक कोई मेमोरेण्डम/आरोप पत्र जारी नहीं किया गया है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 1912/2015 अजय कुमार चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 16.02.2015 में निलम्बन के मामले में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> "We, therefore, direct that the currency of a suspension order should not extend beyond three months if within this period the memorandum of charges/charge-sheet is not served on the delinquent officer/employee; if the memorandum of charges/charge-sheet is served, a reasoned order must be passed for the extension of the suspension. As in the case in hand, the Government is free to transfer the person concerned to any department in any of its offices within or outside the State so as to sever any local or personal contact that he may have and which he may misuse for obstructing the investigation against him. The

Government may also prohibit him from contacting any person, or handling records and documents till the stage of his having to prepare his defence."

6. इस प्रकरण में वर्तमान में निलंबन आदेश पारित हुए तीन माह से अधिक समय हो चुका है, परंतु अभी तक अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव तैयार नही किया गया है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त अजय कुमार चौधरी के मामले में पारित न्याय निर्णय के अनुसार निलंबन आदेश पारित करने के 3 माह तक अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं किये जाने से भी निलंबन आदेश को जारी रखना उचित नहीं माना है। अपीलार्थी को दिनांक 27.08.2024 के आदेश द्वारा निलम्बित किया गया था। निलम्बन आदेश जारी हुए 6 माह का समय हो चुका है। प्रत्यर्थी विभाग ने जवाब में आरोप पत्र अभी तक जारी नहीं किये जाने के तथ्य से इनकार नहीं किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के दृष्टिगत हम अपीलार्थी के सम्बन्ध में जारी निलम्बन आदेश को जारी रखना उचित नहीं पाते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.08.2024 (अनुलग्नक–2) को निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को पुनः पदस्थापित/बहाल किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी को उसी स्थान पर अथवा अन्य किसी स्थान पर पदस्थापित करने के लिये स्वतंत्र रहेगा।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष